56997

संख्या : 1839 / 77-6-98

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन
समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश

लखनऊ : दिनांक : 14 दिसम्बर, 1998

विषयः औद्योगिक नीति-1998 के अन्तर्गत 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' प्रक्रिया का क्रियान्वयन।

महोदय,

शासन द्वारा यह अनुभव किया गया है कि समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भू-सम्पदा, पर्याप्त मानव संसाधन, विस्तृत सड़क एवं रेल मार्ग तथा हवाई परिवहन इत्यादि की सुविधाओं एवं असीमित विकास सम्भावनाओं से परिपूर्ण होने के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश में वाँछित औद्योगिक विकास प्राप्त नहीं हो सका है जिसका एक कारण उद्योग स्थापित करने हेतु वाँछित अनुमोदनों इत्यादि में विभिन्न विभागों द्वारा अधिक समय का लिया जाना तथा अस्पष्ट प्रक्रिया का होना है।

औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदुपयोग उत्पादन वृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति-1998 के अन्तर्गत 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' की संरचना की गई है।

'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' का उद्देश्य उद्योग हेतु विभिन्न विभागों से वाँछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों, लाइसेंसों इत्यादि के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराना है ताकि उद्यमियों को विभिन्न विभागों में उक्त कार्य हेतु बार-बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके।

'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की भूमिका मात्र तटस्थ सम्पर्क-माध्यम की न होकर, उक्त व्यवस्था के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रो-एक्टिव होगी।

'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1. औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों से अनापत्तियाँ/अनुमोदन/लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करने होते हैं जिसमें से कुछ इकाई की स्थापना के पूर्व तथा कुछ इकाई की स्थापना के उपरान्त परन्तु उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व वाँछित होते हैं। इनको आवश्यकतानुसार प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

प्रथम चरण में (इकाई की स्थापना के पूर्व) आवश्यकतानुसार मुख्यतया वाँछित अनुमोदन/ अनापत्तियाँ/स्वीकृति/लाइसेंस इत्यादि

क्रमांक	विवरण	क्रमांक	विवरण
1.	लघु उद्योग का प्राविजनल पंजीकरण	2.	भूमि आवंटन
3	प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण-पत्र	4.	भू-उपयोग अनुमति
5.	नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र	6.	भवन मानचित्र अनुमोदन
7.	व्यापार-कर अस्थायी पंजीकरण	8.	निर्माण हेतु विद्युत कनेक्शन
9.	ड्रग/कास्मैटिक अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स हेतु अनापत्ति	10.	विद्युत स्वीकृति
11.	वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र	12.	आबकारी विभाग का आवंटन हेतु आश्वासन
13.	एच. एस. डी. भण्डारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति / अनापत्ति		

द्वितीय चरण में (इकाई की स्थापना के पश्चात्) आवश्यकतानुसार मुख्यतः वाँछित अनुमोदन/अनापत्तियाँ/स्वीकृति/लाइसेंस इत्यादि

क्रमांक	विवरण	क्रमांक	विवरण
1.	लघु-उद्योग का स्थायी पंजीकरण	2.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति
3.	व्यापार-कर स्थायी पंजीकरण	4.	फैक्ट्रीज एक्ट में पंजीकरण
5.	दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण	6.	विद्युत सुरक्षा अनापत्ति
7.	व्यापार-कर छूट/डेफरमेन्ट	8.	खाद्य विभाग का लाइसेंस
9.	ड्रग लाइसेंस	10.	आबकारी लाइसेंस

औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु विभिन्न विभागों से अनापत्तियों/अनुमोदनों/लाइसेंस इत्यादि हेतु समस्त फार्म संकलन 'अ' व संकलन 'ब' के रूप में जिला उद्योग केन्द्र से उपलब्ध कराये जायेंगे। संकलन 'अ' में प्रथम चरण में वाँछित औपचारिकताओं के फार्म होंगे। संकलन 'ब' में द्वितीय चरण में वाँछित औपचारिकताओं के फार्म होंगे। प्रत्येक संकलन का मूल्य रुपये 25/- (रुपये पच्चीस) मात्र होगा। उक्त आवेदन-फार्मों का मुद्रण 'उद्योग बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी मुद्रण लागत का लेखा-विवरण पृथक रूप से रखा जायेगा।

चूँकि भूमि किसी भी उद्योग की स्थापना हेतु प्राथमिक आवश्यकता होती है तथा अनेक विभागों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिये भूमि का विवरण देना अनिवार्य होता है, अतः यदि उद्यमी को औद्योगिक भूमि / शेड के आवंटन के लिये आवेदन करना है तो सर्वप्रथम महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम/उद्योग निदेशालय का भूमि / शेड आवंटन आवेदन-फॉर्म, पृथक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इस आवेदन-पत्र का निस्तारण भी उसी प्रक्रिया से किया जाएगा जो अन्य आवेदन-पत्रों के लिये निर्धारित की जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा उद्योग निदेशालय द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान में भूमि आवंटन का कार्य अधिकतम एक माह में पूर्ण किया जाएगा।

2. उद्यमी उक्त समस्त विभागों के फार्म, जो आवश्यक हों, पूर्ण रूपेण भरकर, निर्धारित प्रपत्रों को संलग्न करके तथा विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार शुल्क भुगतान के साथ, जिला उद्योग केन्द्र में प्रत्येक सोमवार से गुरुवार तक जमा करेंगे। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उक्त फार्म प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करके कि फार्म पूर्ण रूपेण भरा हुआ है तथा चेक-लिस्ट के अनुसार प्रपत्र संलग्न है, उद्यमी को एक पावती निर्गत की जाएगी जिसमें उसे एक कोड संख्या आवंटित की जायेगी तथा उद्यमी से आवेदन-पत्र के प्राप्त करते समय ही अगले सप्ताह के बुधवार को सम्पर्क करने हेतु कहा जायेगा।

3. समस्त विभागों द्वारा परिशिष्ट-2 में उल्लेखित स्तर के अधिकारी जिन्हें विभाग से सम्बन्धित नियम, प्रक्रिया एवं औपचारिकताओं इत्यादि की समुचित जानकारी होगी को 'एकल मेज व्यवस्था' हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। प्रत्येक विभाग के नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को जिला उद्योग केन्द्र आकर अपने विभागों से सम्बन्धित उद्यमियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का विश्लेषण करके यह चेक करेंगे कि उक्त आवेदन-पत्र पूर्ण रूप से भरकर, निर्धारित संलग्नकों एवं शुल्क के साथ प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं। यदि आवेदन-पत्र में कोई कमी है तो उसको लिखित रूप से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को उसी समय सूचित कर देंगे तथा महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उसे पूर्णतया समझ लेंगे। श्रम विभाग, अग्नि-शमन विभाग तथा विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी जिस जिले में नियुक्त नहीं हैं उन जिलों के उद्यमियों के उक्त विभागों से सम्बन्धित आवेदन-पत्र, उनके क्षेत्राधिकार-प्रदत्त कार्यालय में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक शुक्रवार को प्रेषित करके उपलब्ध कराये जाएंगे तथा सम्बन्धित विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप में आवेदन-पत्रों का विश्लेषण करके इस सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को सामान्यतः उसी दिन अथवा विलम्बतम् अगले सोमवार तक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पश्चात् उक्त आवेदन-पत्र की पूर्णता के सम्बन्ध में किसी भी अन्य प्रपत्र/सूचना इत्यादि की माँग नहीं की जा सकेगी। नोडल अधिकारी द्वारा अनावश्यक आपत्तियाँ नहीं लगाई जायेंगी तथा सम्बन्धित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 'सेम्पल केसेस' का समय-समय पर निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक आपत्तियाँ नहीं लगाई जा रही हैं।

4. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र आवेदन-पत्रों में वाँछनीय औपचारिकताओं की लिखित सूचना व्यक्तिगत रूप से उद्यमी को अपने कार्यालय में सम्पर्क करने पर अग्रिम बुधवार को दे देंगे। उद्यमी उक्त प्रकार से सूचित औपचारिकताओं को तत्पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण करके अग्रिम बुधवार को जिला उद्योग केन्द्र में जमा करेगा जिसे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा प्रदत्त चेक-लिस्ट के अनुसार चेक करके प्राप्त किया जायेगा तथा इसके पश्चात् उक्त आवेदन-पत्र समस्त प्रकार से पूर्ण माना जाएगा तथा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में कोई अन्य प्रपत्र अथवा अभिलेख की माँग नहीं की जायेगी। उद्यमी को उसके आवेदन-पत्रों पर निर्णय सूचित करने हेतु परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा को दृष्टिगत् रखते हुए एक तिथि सूचित कर दी जायेगी, जिस दिन वह जिला उद्योग केन्द्र में आकर उक्त सम्बन्ध में निर्णय की लिखित सूचना प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्रों को अग्रिम शुक्रवार को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपने कार्यालय में उपस्थित नामित नोडल अधिकारियों को प्राप्त करा दिया जायेगा। श्रम विभाग, अग्नि-शमन विभाग तथा विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी जिस जिले में नियुक्त नहीं हैं, उन जिलों के उद्यमियों के उक्त विभागों से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन-पत्र, उनके क्षेत्राधिकार-प्रदत्त कार्यालय में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा समयबद्ध रूप में प्रेषित करके प्राप्त कराये जाएंगे। जिन विभागों से सम्बन्धित स्वीकृति/अनुमोदनों इत्यादि को प्रदान करने के अधिकार 'उद्योग बन्धु' में सन्निहित है, उन्हें पूर्ववत् उद्योग बन्धु की बैठकों में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक विभाग उक्त आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में निस्तारण हेतु निर्धारित समय-सारणी (परिशिष्ट-1) के अन्तर्गत ही महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को अपने निर्णय की लिखित सूचना उपलब्ध करा देंगे। परिशिष्ट-1 में निर्धारित अधिकतम समय-सीमा समस्त सम्बन्धित विभागों की सहमति से निश्चित की गई है।

5. यदि इस प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र की प्राप्ति के उपरान्त किसी विभाग से निर्धारित समय-सारिणी के अन्तर्गत उस विभाग का निर्णय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त नहीं होता है तो महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उक्त आवेदन-पत्र पर 'स्वतः स्वीकृत' ('डीम्ड-एप्रूवल') लिखकर हस्ताक्षर करके उद्यमी को निर्गत करेंगे तथा इस प्रकार से उद्यमी को स्वीकृति प्रदत्त मानी जायेगी। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र प्रत्येक 'स्वतः स्वीकृत' ('डीम्ड-एप्रूवल') के केस को जिलाधिकारी को सूचित करेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित विभाग, से समय-सारणी के अन्तर्गत निर्णय प्राप्त न होने के कारणों की जाँच मुख्य विकास अधिकारी

के रैंक के सक्षम अधिकारी द्वारा करायी जायेगी तथा जिम्मेदारी निश्चित करते हुये अपनी संस्तुति दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम विभागीय अधिकारी को प्रेषित कर दी जाएगी।

6. 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' के क्रियान्वयन का अनुश्रवण प्रतिमाह जिला स्तर पर जिला उद्योग बन्धु द्वारा तथा राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा तथा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा इस सम्बन्ध में 'सेक्रेटिएट' का कार्य करेगा।

7. 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' का संचालन केन्द्र निम्न प्रकार होगा :-

जिला उद्योग केन्द्र

रुपये 25 करोड़ तक पूँजीगत निवेश की परियोजनाएं (अप्रवासी भारतीयों तथा 100 प्रतिशत निर्यातोमुखी परियोजनाओं के अतिरिक्त)

राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु

1. रुपये 25 करोड़ से अधिक पूँजीगत निवेश की परियोजनायें
2. 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी परियोजनाएँ
3. अप्रवासी भारतीय उद्यमियों की परियोजनाएँ

8. नोयडा तथा ग्रेटर नोयडा में स्वीकृतियों की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

9. 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' के अन्तर्गत उद्योग बन्धु मुख्यालय लखनऊ के कार्यक्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं हेतु उपरोक्त उल्लिखित संचालन प्रक्रिया ही अपनायी जाएगी।

10. 'एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था' दिनांक 01.01.1999 से पूर्णतया प्रभावी हो जायेगी तथा इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का सार्वभौमिक उत्तरदायित्व समस्त विभागाध्यक्ष का होगा।

भवदीय,
ह./-
(योगेन्द्र नारायण)
मुख्य सचिव

संलग्नक : परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर
2. समस्त परिक्षेत्रीय अपर / संयुक्त निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश
3. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश

{ रोहित नन्दन } 14/12
सचिव
औद्योगिक विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

56997

परिशिष्ट-1

विभिन्न विभागों द्वारा उद्यमियों को प्रदान की जाने वाली स्वीकृतियों / अनापत्तियों / लाइसेंस इत्यादि के निर्णय के लिये अधिकतम समय-सीमा का विवरण :

क्रमांक	विभाग	अधिकतम समय-सीमा
1.	**उद्योग निदेशालय**	
क-	लघु उद्योगों का अस्थायी पंजीकरण जारी करना जिसमें 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करना निहित है।	तत्काल / सेम-डे
ख-	लघु उद्योगों का स्थाई पंजीकरण, जिसमें 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों को प्रदूषण-नियंत्रण सहमति प्रमाण-पत्र निर्गत करना निहित है। उद्योग का प्रदूषण नियंत्रण सहमति आवेदन-पत्र जिला उद्योग केन्द्र में बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्राप्त करके पावती निर्गत करने के उपरान्त उक्त प्रकार के लघु उद्योग के स्थाई पंजीकरण प्रमाण-पत्र में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रदूषण नियंत्रण सहमति भी सन्निहित की जाएगी।	एक माह
2.	**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्**	
क-	कार्य हेतु विद्युत भार की स्वीकृति	एक माह
ख-	स्थाई विद्युत भार की स्वीकृति	एक माह

नोट : यदि दोनों भारों के लिये आवेदन-पत्र एक साथ दिया जाता है तो दोनों के लिये निर्णय हेतु समय अवधि एक माह ही रहेगी।

3.	**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**	
क-	**अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करना**	
	(1) 29 प्रकार के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु।	चार माह
	(2) उपरोक्त प्रकार के अतिरिक्त तथा 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी लघु उद्योगों के अतिरिक्त उद्योगों हेतु।	एक माह
	नोट : हेजार्डस प्रकृति के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।	
ख-	**कन्सेन्ट प्रदान करना**	
	(1) 29 प्रकार के अधिक प्रदूषणकारी उद्योगों हेतु।	चार माह
	(2) उपरोक्त के अतिरिक्त लघु उद्योगों हेतु।	प्रार्थना-पत्र पावती ही सहमति है।
	(3) 29 प्रकार के अधिक अप्रदूषणकारी उद्योगों के अतिरिक्त मध्यम एवं वृहद उद्योगों हेतु	एक माह
	नोट : हेजार्डस प्रकृति के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।	

4.	**व्यापार-कर विभाग**	
	क- अस्थाई व्यापार-कर पंजीकरण	तीन दिन
	ख- स्थाई व्यापार-कर पंजीकरण	तीस दिन
	ग- व्यापार-कर छूट / आस्थगन हेतु निरीक्षण आख्या	तीस दिन
	घ- व्यापार-कर छूट/आस्थगन हेतु निरीक्षण आख्या के प्रस्तुत होने के उपरान्त आयुक्त द्वारा निर्णय हेतु।	तीस दिन
5.	**श्रम विभाग**	
	क- कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कारखाना भवनों के निर्माण / कारखाने के रूप में प्रयोग से पूर्व स्वीकृति	
	1- नॉन-हेजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	2- हेजार्डस एवं मेजर हेजार्डस उद्योगों हेतु	साठ दिन
	ख- कारखाना अधिनियम में पंजीकरण / लाइसेंस	
	1- नॉन हेजार्डस उद्योगों हेतु	एक माह
	2- हेजार्डस एवं मेजर हेजार्डस उद्योगों हेतु	साठ दिन
	ग- दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पंजीकरण	एक माह

नोट : हेजार्डस एवं मेजर हेजार्डस प्रकृति के उद्योगों हेतु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।

6.	**अग्नि-शमन विभाग**	
	अग्नि-शमन अधिकारी के स्तर से अग्नि सुरक्षा सम्बन्धित अनापत्ति	एक माह
7.	**राजस्व विभाग**	
	क- धारा-143 के अंतर्गत भूमि को गैर कृषि योग्य घोषित कराना	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।
	ख- उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा-154 के अंतर्गत कार्यवाही	15 दिन
8.	**खाद्य विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना**	दस दिन
9.	एच.एस. डी. भण्डारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर अनुमति / अनापत्ति	एक माह परन्तु स्वतः स्वीकृति का नियम लागू नहीं होगा।
10.	**औषधि नियंत्रण**	
	क- लाइसेंस हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	एक माह
	ख- औषधि लाइसेंस (स्थापना के उपरान्त)	साठ दिन

11.	**राज्य आबकारी विभाग**	
	क- राज्य आबकारी विभाग से आवंटन आश्वासन	एक माह
	ख- आबकारी लाइसेंस	एक माह
12.	**वन विभाग**	
	प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (वन आधारित कुछ उद्योगों हेतु)	साठ दिन
13.	**विद्युत सुरक्षा निदेशालय**	
	विद्युत सुरक्षा अनापत्ति	एक माह
14.	नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम के अंतर्गत अनुमति	एक माह
15.	विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पालिका/ टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया द्वारा भवन-मानचित्र अनुमोदन	एक माह

संशोधन

1. नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन-पत्र पर निर्णय हेतु अधिकतम समय-सीमा दो माह होगी। शासनादेश संख्या 415/77-6-99 दिनांकित 30 मार्च 1999।
2. विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन-मानचित्र अनुमोदन के आवेदन-पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा नियत-प्राधिकारी को प्रत्येक शुक्रवार को प्रेषित करके उपलब्ध कराये जायेंगे। शासनादेश संख्या 972/ 77-6-99 दिनांकित 5 मई 1999।
3. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सम्बन्धित उन जनपदों के आवेदन पत्र जहाँ बोर्ड के कार्यालय स्थित नहीं हैं, महाप्रबन्धक, जि०उ० केन्द्र द्वारा बोर्ड के समीपवर्ती क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक शुक्रवार को प्राप्त कराये जायेंगे। शासनादेश संख्या 457/77-6-2000 दिनांकित 23 मार्च 2000।